बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

संचिका सं०– E 2–2–62/2019–(खण्ड– II)– 594 पटना, दिनांक 02-02-2024 ई०।

निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार–सह–सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय परिसर एवं उसमें अवस्थित **नये एवं पूराने भवन** के कक्षों की **वित्तीय वर्ष 2024–25** में प्रतिदिन साफ–सफाई हेतु इच्छुक सेवादाता प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदादाता को साफ–सफाई में उपयोग होने वाली वस्तुओं/सामग्रियों यथा फिनाईल, सेनेटाईजर, दुर्गंधनाशक टिकिया (ओडोनील आदि), झाडू, लिक्विड सोप, हार्पिक, डिटर्जेन्ट पाउडर, नैफ्थलीन बॉल, वाइपर, ब्रश, मच्छड़/कीट नाशक स्प्रे, कपड़ा/झाड़न, मजदूरी आदि पर होने वाले व्यय का वहन स्वयं करना होगा। प्रतिदिन सफाई कार्य किये जाने संबंधी विस्तृत ब्यौरा/साफ–सफाई हेतु प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों की सूची एवं साफ–सफाई के निमित्त शर्त्तें विभागीय वेबसाईट www.ceobihar.nic.in पर देखी तथा डाउनलोड की जा सकती हैं।

2. निविदा के साथ केन्द्र सरकार/बिहार सरकार के अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों की साफ–सफाई का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र संलग्न रहने पर निविदादाता फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. निविदादाता प्रतिमाह आने वाले सभी खर्चों सहित, मजदूरी एवं सामग्री पर व्यय का अलग–अलग उल्लेख करते हुए, अपनी तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में (दोनों लिफाफों पर अलग–अलग तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करते हुए) श्री सुबोध कुमार सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय वेश्म में अवस्थित बक्से में **दिनांक** 28/2/24 के **अपराह्न** 1 बजे तक डाले जा सकते हैं। तकनीकी निविदाएं उसी दिन **अपराह्न** 3 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेंगी तथा तकनीकी निविदा में सफल फर्मों की वित्तीय निविदा निविदादाताओं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उसी दिन खोली जायेगी।

4. निविदादाताओं को निविदा कागजात के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पदनाम से किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा निर्गत स्वीकार योग्य फार्म में **₹ 30,000/–(तीस हजार रूपये) मात्र का डिमांड ड्राफ्ट** प्रतिभूति राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। असफल निविदादाता की प्रतिभूति (अर्नेस्ट मनी) उन्हें निविदा की समाप्ति के बाद शीघ्रातिशीघ्र एवं करार प्रदान करने के बाद अधिकतम 30 दिन के पहले वापस कर दी जायेगी।

5. निविदादाता द्वारा वित विभाग के संकल्प संख्याा–2988/वि0 दिनांक 23.03.2023, एव विभिन्न श्रम अधिनियमों के संगत उपबंधों का अनुपालन करना तथा श्रम संसाधन विभाग एवं वस्तु एवं सेवाकर (GST) हेतु संबंधित विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न (पैन कार्ड सहित) भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा पर GST पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया जाना है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

6. विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के सफाई कार्य से संतुष्ट रहने की स्थिति में इस निविदा अवधि को भविष्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा तत्समय निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर पर एक वर्ष की अवधि के लिये विस्तारित भी की जा सकेगी।

7. मुहरबंद निविदा लिफाफे के ऊपर साफ–साफ बड़े पठनीय अक्षरों में **"मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, 7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015 में सफाई कार्य हेतु निविदा"** अंकित किया जाना चाहिए।

8. किसी परिस्थिति विशेष में बिना कारण बताये निविदा रद्द की जा सकती है।

9. निविदा की आवश्यक शर्त्तों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाईट www.ceobihar.nic.in पर देखा जा सकता है एवं तद्नुरूप चयनित फर्म को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

(मिथिलेश कुमार साहु)
विशेष सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष स0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल –ceo_bihar@eci.gov.in

संचिका सं०– E 2–2–62 / 2019–(खण्ड– II)– 595 पटना, दिनांक 02-02-2024 ई0।

निविदा हेतु आवश्यक शर्त्ते

विषयः– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार, 7, मैंगल्स रोड (सरदार पटेल मार्ग) अवस्थित नये एवं पूराने भवन के कार्यालय परिसर / कक्षों की साफ–सफाई व्यवस्था हेतु निविदा।

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना का कार्यालय, निर्वाचन विभाग, बिहार 7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड) के कार्यालय परिसर में अवस्थित **नये एवं पूराने भवन** परिसर / कक्षों की साफ–सफाई की व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

(अ) प्रतिदिन सफाई कार्य किये जाने संबंधी विस्तृत ब्यौराः–

1. फर्श, सीढी, छतों की साफ–सफाई, धुलाई एवं पोंछा लगाया जाना है।
2. शौचालयों / यूरीनलों के फर्श तथा इसमें लगे वाश बेसिन / यूरीनल बेसीन की सफाई इस प्रकार की जानी है, कि काई दुर्गंध न रहे।
3. सभी प्रकार के लकड़ी के उपस्करों यथा– मेजों, कुर्सियों, रैक, मेजों के उपर रखे शीशे, विभिन्न प्रकार की आलमारियों तथा पार्टिशनों की सफाई की जानी है।
4. विभिन्न प्रकार के कार्यालय उपकरणों यथा– सूचना पट्ट, दीवाल घड़ी, टंकण मशीन, सोफा सेट, पर्दे अन्य सजावटी सामान, प्रिन्टर्स, कम्प्यूटर मॉनीटर्स, स्कैनर एवं अन्य प्रकार के कम्प्यूटर उपकरणों, वातानुकूलन यंत्रों तथा कूलर्स आदि की साफ–सफाई वैक्यूम क्लीनर द्वारा तथा अच्छे किस्म के डिटर्जेंट / क्लीनिंग एजेन्ट से की जानी है।
5. कार्यालय कक्षों में लगातार साफ–सफाई की जानी है। परिसर में कहीं भी मधुमक्खी के छत्ते, चूहा, छिपकली, मकड़ी के जाल एवं अन्य कीड़े–मकोड़े आदि पाये जाते हैं तो उसे हटाकर साफ–सफाई की जानी है।
6. सभी प्रकार के लकडी / अल्यूमीनियम / स्टील के दरवाजों, खिड़कियों तथा उनके शीशों की सफाई तथा पोंछाई (लिक्विड कीटनाशक डिटर्जेंट से) की जानी है।
7. स्वागत कक्ष, प्रवेश द्वार तथा अन्य आम रास्तों की सफाई एवं पोंछाई लगातार की जानी है।
8. विद्युत उपकरणों तथा स्विच बॉक्स, स्टेबलाईजर्स, पंखे, टयूब लाईट सेट एवं बल्ब इत्यादि पर लगी धूल आदि की तरल एवं सूखी सफाई करनी है।
9. कार्यालय परिसर के अंदर कूड़ा इत्यादि जमा नहीं होने देना होगा। यदि कूड़ा कहीं एकत्रित हो तो उसकी अविलंब सफाई कर देनी होगी।
10. पदाधिकारी / कर्मचारी द्वारा निरीक्षण के दौरान साफ–सफाई में पायी गयी कमियों को तुरंत दूर करना होगा।
11. कारपेट बिछे फर्श के अतिरिक्त शेष फर्श को धोने के लिये अच्छे किस्म के डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाना है तथा कार्पेट एरिया की साफ–सफाई की जानी है।
12. शौचालय के मोजेक टाईल्स की सफाई उपयुक्त डिटर्जेंट द्वारा करनी है।

(ब) कार्यालय में उचित साफ–सफाई कार्य हेतु निविदादाता को निम्नलिखित सामग्रियों का न्यूनतम भंडारण निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के सुरक्षित भंडार में उपयोग हेतु **प्रति माह** रखना होगा, जिसमें आवश्यकतानुसार बढ़ोतरी भी हो सकती है :–

1. हैंड वाश / तरल साबुन – 250 मी.ली.– 15 पीस – ₹ 300 / –
2. सेनेटाईजर – 05 ली. – ₹ 570 / –
3. फिनाईल – 05 ली.– ₹ 100 / –
4. एसिड – 10 बोतल– ₹ 500 / –
5. नेप्थलीन बॉल – 10 पैकेट – ₹ 500 / –
6. सफाई का पाउडर – 2 पैकेट – ₹ 100 / –
7. एयर फ्रेशनर (ओडोनिल) – 10 पीस – ₹ 300 / –

8. रूम फ्रेशनर – 03 पीस– ₹450/–
9. कपड़े का डस्टर – आवश्यकतानुसार
10. शीशा साफ करने वाला तरल पदार्थ जैसे– कॉलिन 250 मी.ली. – 02 पीस – ₹200/–
11. पोंछा – आवश्यकतानुसार
12. फ्लोर वाईपर – आवश्यकतानुसार
13. टॉयलेट ब्रश – आवश्यकतानुसार
14. फूल–झाडू – आवश्यकतानुसार
15. डस्टबिन – आवश्यकतानुसार
16. यूरिनल क्यूब्स – 06 दर्जन – ₹480/–
17. अन्य जो सामग्री आवश्यक हो – आवश्यकतानुसार

उपर्युक्त नये एवं पूराने भवन परिसर/कक्षों की साफ–सफाई की व्यवस्था/कार्य हेतु कम से कम सात सफाई कर्मचारियों की सेवाएं **कार्यालय कार्यदिवस/कार्यावधि में** (लगभग– 234 दिन) तथा कम से कम **चार** सफाई कर्मचारियों की सेवाएँ **अवकाश दिवस/अवकाश अवधि** (लगभग– 132 दिन) में उपलब्ध करानी हैं।

(स) सामान्य शर्ते :–

18. कम्प्यूटर संबंधी कीमती उपकरण तथा अन्य उपकरण, फर्नीचर, किताबें, कालीन, पर्दे, सोफा इत्यादि कार्यालय में संधारित है जिनकी साफ–सफाई के दौरान कार्यालय की किसी सामग्री, या इसके अंश को किसी प्रकार की क्षति न हो, इसकी जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।
19. साफ–सफाई के दौरान विशेष ध्यान रखा जाना है कि कार्यालय के अभिलेख या अन्य किसी कागजात को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचे।
20. सफाई कार्य प्रतिदिन 9.30 बजे पूर्वाह्न के पूर्व (कार्यालय काल प्रारंभ होने के पूर्व) समाप्त कर लिया जाना है तथा सप्ताह के सभी दिनों, शनिवार एवं रविवार को भी पूर्णरूपेण किया जाना है। कार्यालय काल (अवकाश या अन्य दिनों में कार्यालय खुले रहने की पूर्ण अवधि सहित) में सफाई की उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है।
21. एक माह में सफाई कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्री निविदादाता द्वारा इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी श्री सुबोध कुमार सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पर्यवेक्षण में भंडार में अग्रिम रखनी होगी।
22. कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी श्री सुबोध कुमार सिन्हा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना से प्रत्येक माह कार्य संतुष्टि प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरांत सफल निविदादाता को देय राशि का भुगतान किया जायेगा।
23. सफाई कार्य खराब होने या कार्य न किये जाने की स्थिति में भुगतान में कटौती की जायेगी। सफाई कार्य असंतोषजनक होने की स्थिति में या सफाई कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में प्रत्येक ऐसे दिवस के लिये **मासिक भुगतान की 10% की राशि की कटौती** की जायेगी। सात दिनों या उससे अधिक अवधि तक सफाई कार्य असंतोषजनक रहने या सफाई कार्य नहीं कराये जाने पर सफल निविदादाता को नोटिस दे कर एकरारनामा/कार्यादेश को रद्द किया जा सकेगा तथा प्रतिभूति की जमा राशि भी जब्त कर ली जायेगी। यदि सफल निविदादाता द्वारा सफाई कार्य लगातार तीन दिनों तक नहीं किया जाता है तो उन्हें तत्काल नोटिस देकर उसकी निविदा रद्द की जा सकती है तथा प्रतिभूति की जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
24. सेवादाता फर्म के द्वारा वित विभाग के संकल्प संख्या–2988/वि0 दिनांक 23.03.2023 की कंडिका–4 (iv) के आलोक में मानव बल/साफ–सफाई कर्मियों को **श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं उस पर लागू वैधानिक देयता का भुगतान अनिवार्य होगा और इसे निविदा (Bid) का आधार नहीं बनाया जायेगा।**
25. वित विभाग के संकल्प संख्या–2988/वि0 दिनांक 23.03.2023 की कंडिका–4 (v) के आलोक में सेवादाता फर्म के द्वारा सेवा प्रदान कर रहे मानव बल/साफ–सफाई कर्मियों को प्रतिमाह पारिश्रमिक के भुगतान में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। **इसके साथ ही पारिश्रमिक का भुगतान मानव बल के आधार संबद्ध बैंक खाता में Real Time Gross Settlement (RTGS) की प्रक्रिया से किया जायेगा।** यह भुगतान सेवा प्राप्त कर रहें विभाग/प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी (सेवादाता) को राशि विमुक्ति की तिथि के तीन कार्य दिवस के अन्दर संबंधित एजेंसी (सेवादाता) द्वारा किया जायेगा। साथ ही **सभी वैधानिक कटौती की राशि को ससमय संबंधित प्राधिकार (यथा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि) में आउटसोर्सिंग एजेंसी (सेवादाता) द्वारा जमा करना होगा।**

26. वित विभाग के संकल्प संख्याा–2988/वि0 दिनांक 23.03.2023(**संलग्न**) की कंडिका–4 (vi) के आलोक में **आउटसोर्सिंग एजेंसी (सेवादाता) द्वारा कर्मियों/मानव बल के मासिक पारिश्रमिक भुगतान (आधार संबद्ध खाते में) का साक्ष्य अगले माह के विपत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।** अन्यथा विपत्र की राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। **साथ ही वैद्यानिक कटौती/देयता (यथा, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान) की राशि जमा करने का साक्ष्य सहित त्रैमासिक प्रतिवेदन भी आउटसोर्सिंग एजेंसी (सेवादाता) द्वारा इस विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।**

27. वित विभाग के संकल्प संख्याा–2988/वि0 दिनांक 23.03.2023 (**संलग्न**) की कंडिका–4 (i) एव (ii) के आलोक में **सेवा शुल्क की दर** का अनुपालन नहीं करने पर निविदादाता की वितीय निविदा विचारणीय नहीं होगी।

28. सफल निविदादाता से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एक वैध एकरारनामा संपादित किया जायेगा एवं प्रत्येक माह देय राशि का भुगतान सेवादाता फर्म द्वारा दिये गये विपत्र से नियमानुसार कटौतियों के साथ किया जायेगा।

29. विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के सफाई कार्य से संतुष्ट रहने की स्थिति में इस निविदा अवधि को भविष्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा तत्समय निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर पर एक वर्ष की अवधि के लिये विस्तारित भी की जा सकेगी।

30. कोई विवाद होने की स्थिति में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार (या प्रधान सचिव/सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार) का निर्णय अंतिम होगा।

31. उक्त निविदा को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पास सुरक्षित है।

(मिथिलेश कुमार साहु)
विशेष सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी